

प्रेषक,

डॉ रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में

✓महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ०प्र०, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2

विषय:- राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों में एम०बी०बी०एस० / बी०डी०एस०/स्नातकोत्तर/पी०जी० डिप्लोमा एवं सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले छात्रों से अनिवार्य शासकीय सेवा से सम्बन्धित बाण्ड भरवाने के सम्बन्ध में।

लखनऊ : दिनांक 07 मार्च, 2018

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम०ई०-३/2017/457 दिनांक 22.06.2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में भुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में चिकित्सकों की कमी के दृष्टिगत राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों में एम०बी०बी०एस० / बी०डी०एस०/स्नातकोत्तर/पी०जी० डिप्लोमा एवं सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले छात्रों से अनिवार्य शासकीय सेवा से सम्बन्धित बाण्ड भरवाने के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त निम्नवत् नीति निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. प्रदेश के राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों में स्नातक (एम०बी०बी०एस०) / बी०डी०एस०/स्नातकोत्तर/पी०जी० डिप्लोमा पाठ्यक्रमों एवं सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्रों से अनिवार्य शासकीय सेवा से सम्बन्धित एग्रीमेन्ट बाण्ड (प्रारूप संलग्न) भरवाने के सम्बन्ध में तालिका में उल्लिखित विवरणानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय:-

क्र०	पाठ्यक्रम	बाण्ड की अवधि	बाण्ड की धनराशि	सेवा का स्थान
1	स्नातक (एम०बी०बी०एस० / बी०डी०एस०)	02 वर्ष	रु० 10.00 लाख	महानगरों को छोड़कर अन्य जनपदों में स्थापित राजकीय मेडिकल कालेजों में नॉन पी०जी० जे०आर० के रूप में तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक केन्द्र में संविदा चिकित्सा अधिकारी के रूप में।
2	स्नातकोत्तर (एम०डी०एस० / एम०बी०एस० / पी०जी० डिप्लोमा पाठ्यक्रम)	02 वर्ष	रु० 40.00 लाख (डिग्री हेतु) रु० 20.00 लाख (पी०जी० डिप्लोमा / एम०डी०एस० हेतु)	महानगरों को छोड़कर राजकीय मेडिकल कालेजों में सीनियर रेजीडेंट अथवा संविदा प्रवक्ता तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन संचालित महानगरों को छोड़कर जिला चिकित्सालयों अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में संविदा विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में।

3	सुपर स्पेशियलिटी (डी० एम० / एम०सी०एच०)	02 वर्ष	रु० 100.00 लाख	राजकीय मेडिकल कालेजों/ संस्थानों/ चिकित्सा विश्वविद्यालयों अथवा राज्य के जिला अथवा मण्डल चिकित्सालयों में संविदा प्रवक्ता अथवा संविदा सुपर स्पेशियलिटी विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में।
---	--	---------	-------------------	---

2. उक्त बाण्ड निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निष्पादित की जायेगी:-

1. बाण्ड से विचलन की दशा में सम्बन्धित अभ्यर्थी (पी०एम०एच०एस० संवर्ग के एम०बी०बी०एस० डिग्रीधारी चिकित्साधिकारियों को छोड़कर) को बाण्ड की धनराशि प्रदेश सरकार को अदा करनी होगी। बाण्ड की धनराशि संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय/ संस्थान/ विश्वविद्यालय स्तर पर समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए प्रधानाचार्य/ निदेशक/ कुलसचिव के माध्यम से महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० द्वारा राजकीय कोषागार मे जमा करायी जायेगी।
2. बाण्ड से विचलन की दशा में यदि कोई अभ्यर्थी बाण्ड की धनराशि जमा नहीं करता, तो इसकी वसूली भू राजस्व की भाँति की जायेगी।
3. ऐसे चिकित्सकों (एम०बी०बी०एस०/ बी०डी०एस०/ स्नातकोत्तर डिग्री धारक/ पी०जी० डिप्लोमा पाठ्यक्रम/ एम०डी०एस०) को वहीं परिलक्षियों तथा मासिक मानदेय प्रदान किए जायेंगे जैसा कि यथास्थिति नान पी०जी० जूनियर रेजीडेण्ट/ सीनियर रेजीडेण्ट अथवा वाक—इन इन्टरव्यू के माध्यम से प्राप्त संविदा चिकित्सकों को किए जाते हैं।
4. सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सकों को संविदा के आधार पर मासिक मानदेय तथा परिलक्षियों निर्धारित करने की कार्यवाही नियमानुसार पृथक से की जायेगी।
5. बाण्ड भरे जाने से किसी भी अभ्यर्थी को राजकीय सेवा अथवा राजकीय मेडिकल कालेजों/ संस्थानों/ चिकित्सा विश्वविद्यालयों में अनिवार्य रूप से सेवायोजित किए जाने का कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होगा। शासन द्वारा यथावश्यक उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष ही उनको निर्धारित अवधि तक के लिए ही सेवायोजित किया जायेगा।
6. राज्य सरकार द्वारा अभ्यर्थी के सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूर्ण किए जाने की तिथि से अधिकतम 03 माह की अवधि तक सम्बन्धित अभ्यर्थी को सेवायोजित न किए जाने की दशा में उनका बाण्ड रिलीज कर दिया जायेगा। यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी उच्चतर पाठ्यक्रम हेतु नियमानुसार चयनित हो जाता है तो तदनुसार उसके द्वारा किए गये अनुरोध के क्रम में बाण्ड रिलीज कर दिया जायेगा।
7. अभ्यर्थी को आवश्यक मानदेय तथा परिलक्षियों का भुगतान सम्बन्धित विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जहाँ अभ्यर्थी सेवायोजित होगा, के द्वारा किया जायेगा।

8. प्रस्तावित हिंसकीय काण्ड में हिन्दौरीय पता श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से एनीमेट बाण्ड पर हस्ताक्षर करने छेत्र समूचित संस्थान/गैडिकल कारोज़/यूनिवर्सिटी के सहाय अधिकारी को यिकित्सा रिशा विभाग द्वारा नामित किया जायेगा।

3— उच्चत निर्देशों का कड़वई से अनुपलान सुनिश्चित किया जाय।

3- उक्त निर्देशों का कहाई से अनुपलान सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नकः—यथोक्त

वरदीय,
(जाप्तरेजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या—/71-2-2018-तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रमुख सचिव, नांग मुख्यमंत्री जी, उ०प्र० शासन।
 - स्टेप आविसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
 - प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन।
 - महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
 - कुलपति, किंग जार्ज चिकित्सा विषयविद्यालय, उ०प्र० लखनऊ।
 - कुलपति, उ०प्र० आयुर्विज्ञन विषयविद्यालय, सैफाई, इटावा।
 - निदेशक, एस०जी०पीजी०आई०, लखनऊ।
 - निदेशक, डॉ शन मनोहर लोहिं आयुर्विज्ञन संस्थान, लखनऊ।
 - निदेशक, सुप्र स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं शैक्षणिक संस्थान, नोएडा।
 - निदेशक, राजकीय आयुर्विज्ञन संस्थान, गोरत नोएडा।
 - प्रधानाधार्य, समाज राजीव गेहौले काले, उ०प्र० द्रष्टा सम्मेलन, वि. वि० र० अशोकनगर।
 - समाज चिकित्साविकारी, उ०प्र० हाई सर्टिफिकेशन, वि. वि० इ० प्रतीक्षा, उ०५, लखनऊ।
 - चिकित्सा विभाग अनुभाग-१ एवं ४।
 - गार्ड कार्फाल।

आज्ञा से

(अनिल कुमार)
उप संस्थापक।

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, सरपो, लखनऊ।
संख्या-एम०५०-३/२०१८/ ६०९ लखनऊदिनांक १० मार्च, २०१८

- प्रतिलिपि निवालीरेत को सुनायार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ग्रेवित-
 - महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उद्धरण, लक्षण
 - कृष्णपति, किंग जार्ज, फिलिप्पिता विवादियालय, उम्प्रेट लक्षण
 - कृष्णपति, प्र०३० आर्योजितान रिहविडालय, तेकर्ह, इंडिया
 - निदेशक, स्टेट्यूटियोफिल्मसेवा, लक्षण
 - निदेशक, राजा राम बहुर लोकिया आर्योजितान संस्थान, लखनऊ
 - निदेशक, सुप्र स्पेशलिस्टिक बाल चिकित्सालय, एवं शोधालय संस्थान, नोएडा
 - निदेशक, राजकीय आमुदिक्षाल संस्थान, पेटर नोरक
 - प्रधानाधार्य, वेडिकल पालताप, कानपुर, आगरा, भेरत, झारसी, गोरखपुर, इलाहाबाद, कन्नौज, अमेड़करनगर,
 - आजमगढ़, जालीन, सहारनपुर, बांद बंड, बैठबैठ
 - निदेशक, विद्युत रोग संस्थान, कानपुर
 - समाज सुधु राजस्थानविधायिकी, उ०३०, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, एटा, हायरस्ट, छात्तीराज, इलाहाबाद, फेटोड्यूर, जौलाली, प्रतापगढ़, जालीनपाट, चलिया, मुर, बर्देषु, बर्देली, बोलीभीत, शाहजहाँपुर, बरसी, संस्कृत नगर, विद्युत नाराय, बंदा, विव्राद, हनीपुर, नडोवा, हवारामपुर, गोप्या, ग्रावडी, बरसी, खंडीपुर, नगर, विद्युत नाराय, बंदा, विव्राद, हनीपुर, अमेड़, देवराम, पाठकमुर, चुप्पीपुरान, महापालपाट, जालीन, अमेड़करनगर, बारालीली, फैजाबाद, सुखानामपुर, अमेड़, देवराम, पाठकमुर, चुप्पीपुरान, महापालपाट, जालीन, झारसी, लालिमपुर, औरीरा, इलाहा, फलखालपुर, तन्नुर, शामपुर, हुल्लूबाहुद, गोप्या बुद्ध नगर, हरदोई, लालिमपुर, औरीरा, झारसी, लालिमपुर, औरीरा, इलाहा, फलखालपुर, तन्नुर, शामपुर, हुल्लूबाहुद, गोप्या बुद्ध नगर, गायियानगर, भेरत, बापुर, मोरजामपुर, रंत विवादालय, भेरत, रोनकनद, विजयीर, अमरोहा, बुरादाबाद, रामपुर, तामल, गुरुप्रकाशनगर,
 - साहरनपुर, शामली, बद्दोली, नालीपुर, जोनपुर तथा गायारासी

(क्र० क्र० गुरु)